

संख्या-3491 / 15-7-06-16(129)/2003

प्रेषक,

बाबू राम,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

विषय (7) अनुभवा

संलग्नक दिनांक: 08 फरवरी, 2007

विषय :- सी0बी0एस0 हायस्क पाब्लिक स्कूल बिजबपुरम रोआर्गोव, फौजशाह को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

नतीजतः,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का विदेश हुआ है कि ज्वलत संबंधित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संकलित विद्यार्थियों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किली अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नईदिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिपदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

24/02/07  
D. S. M. Das Public School  
Rourkela, G.O. India

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) सेवा शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता जरूरी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुसूचित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बबू राम)

अनु सचिव ।

पुणसंख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय संघ, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, डी०एस०एम० लॉन्स पब्लिक स्कूल बिजयपुरम सेज्दगांव, फैजाबाद ।
- 6- गाई बुक ।

आज्ञा से,

(बबू राम)

अनु सचिव ।

Dr. V. V. S. Public School  
The Public School  
Wardha (M.S.) with Class-12  
11/5